

संख्या 22204/एमएमए/पैनलबद्धता/सीबीसी/ 23-24

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय संचार ब्यूरो
(एवी प्रोडक्शन विंग)

सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
17 जुलाई, 2026

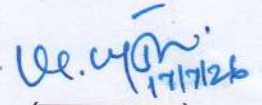
परामर्शिका

विषय: रेट कार्ड रहित मल्टीमीडिया एजेंसियों की पैनलबद्धता के संबंध में।

यह सीबीसी में रेट कार्ड रहित मल्टीमीडिया एजेंसियों की पैनलबद्धता के लिए इच्छुक संस्थानों द्वारा आवेदन जमा करने के संदर्भ में है।

2. मौजूदा पैनल के अतिरिक्त श्रेणी 'क', 'ख' और 'ग' के तहत पैनलबद्धता के लिए चयनित आवेदकों की सूची **अनुलग्नक -1** में संलग्न है। प्रत्येक एजेंसी के लिए पैनलबद्धता से संबंधित श्रेणी को एजेंसी के नाम के साथ निर्दिष्ट किया गया है।
3. ये एजेंसियां केंद्रीय संचार ब्यूरो के साथ केवल रचनात्मक संपत्तियों (creative assets) के डिजाइन और निर्माण के उद्देश्य हेतु में पैनलबद्ध हैं।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(परगुनन बाबू)
परगुनन बाबू / PARAGUNAN BABU
अभियान अधिकारी / Campaign Officer
केंद्रीय संचार ब्यूरो / Central Bureau of Communication
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय / Ministry of Information & Broadcasting
भारत सरकार / Government of India
नई दिल्ली-110003 / New Delhi-110003

रेट कार्ड रहित मल्टीमीडिया एजेंसियों की पैनलबद्धता

श्रेणी 'क'

क्रम सं.	एजेंसी का नाम
1.	मैसर्स एक्सप्रेसन 360 सर्विस इंडिया लिमिटेड
2.	मैसर्स वेंचर्स इंटिग्रेटेड कम्युनिकेशन प्रा लि

श्रेणी 'ख'

क्रम सं.	एजेंसी का नाम
1.	मैसर्स जेंकार एडवर्टाइजिंग
2.	मैसर्स प्लैटिनम कम्युनिकेशन्स प्रा लि

श्रेणी 'ग'

क्रम सं.	एजेंसी का नाम
1.	मैसर्स केएमके इवेंट मैनेजमेंट लि
2.	मैसर्स एक्सिस कम्युनिकेशन्स प्रा लि

Dr. Anil
17/11/26